# न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट , प्रतापगढ़ (राज.)

पीठासिन अधिकारी:— विजयेश कुमार पण्ड्या, आरएएस
परिवाद संख्या 90/2024
दायर दिनांक 14.10.2024

खाद्य सुरक्षा अधिकारी
कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,प्रतापगढ़

—प्रार्थी

बनाम

श्री उमेश कुमावत पुत्र श्री श्यामलाल कुमावत, मैसर्स श्रीजी दूध डेयरी, धोलापानी दरवाजा, छोटीसादडी

— अप्रार्थी

**:—आदेश—:**

**दिनांक 15/04/2025**

शासन उपसचिव कार्मिक विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी अधिसूचना कमांक प1 (2)कार्मिक/क—4/08 दिनांक 05.04.2012 के द्वारा खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उपधारा 1 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिलों में कार्यरत अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेटों का खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उनके अधीनस्थ कार्यक्षेत्र के लिए न्याय निर्णयन अधिकारी नियुक्त किए जाने के फलस्वरूप खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी प्रतापगढ़ ने अप्रार्थी के विरूद्व एक परिवाद इस आशय का प्रस्तुत किया कि अप्रार्थी ने सब स्टेण्डर्ड दुध का विकय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(।।) व 26 की उपधारा 2(V) का उल्लंधन किया है। जिसके फलस्वरूप खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 में निर्धारित है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ न्याय निर्णय आवेदन, गजट नोटीफिकेशन की प्रति, कार्यक्षेत्र नोटीफिकेशन की प्रति, माल खरीद की प्रति, बिल असल, फार्म नं. 5 ए असल, फर्द रिपोर्ट असल, खाद्य विशलेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बांसवाडा द्वारा फार्म नं. 6 की प्राप्ति रसीद एवं नमूना मय फार्म नं0 6 की प्राप्ति रसीद । अभिहित अधिकारी द्वारा खाद्य नमूना के तीनों भागों की फार्म नं0 6 की पुश्त पर प्राप्ति रसीद, खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बांसवाडा की नमूना जॉच रिपोर्ट मय कार्यालय पत्र विक्रेता द्वारा [illegible] शपथ पत्र ,प्रार्थना पत्र मय पहचान पत्र तथा अभिहित अधिकारी द्वारा पत्रावली [illegible] करने बाबत लिखा गया पत्र की प्रति प्रस्तुत की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vijayesh Kumar Pandya
Date: 2025.04.28 13:11:35 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय हाजा में प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 10.07.2024 [illegible] पी.एम. पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी मैसर्स श्रीजी दूध डेयरी, धोलापानी दरवाजा छोटीसादडी पंहुचा। वहां मिक्स दूध 15 लीटर लूज अवस्था में रखा था। उस समय मौके पर विक्रेता की हैसियत से जो व्यक्ति

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ़

उपस्थित हुआ उसे खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अपना परिचय दिया एवं उसका परिचय लिया। विक्रेता ने अपना नाम उमेश कुमावत पुत्र श्यामलाल बताया। विक्रेता से खाद्य अनुज्ञा पत्र मांगा जो विक्रेता के पास मौके पर उपलब्ध था। लूज अवस्था में रखे मिक्स दूध पर शक होने पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मौके पर फार्म नं. 5 ए की प्रतियां तैयार कर मौके पर दूध का नमूना लेने की लिखित सूचना फार्म नं0 5 ए के द्वारा विक्रेता को दी फार्म नं. 5 ए एक प्रति विक्रेता को देकर दूसरी प्रति पर विक्रेता की प्राप्ति रसीद ली। तत्पश्चात गवाहान की उपस्थिति में उक्त मिक्स दूध में से 2 लीटर दूध नमूना वास्ते जांच हेतु खरीदा, जिसकी कीमत विक्रेता को 80 रू. नकद देकर रसीद प्राप्त की । जिस पर विक्रेता, गवाहान एवं खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म सं. 5 ए की प्रतियां एवं फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढ़कर, सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे विक्रेता ने भी पढकर समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। फार्म सं. 5 ए की एक प्रति विक्रेता को देकर रसीद प्राप्त की। फार्म सं. 5 ए व फर्द रिपोर्ट न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

उक्त खरीद शुदा दूध को 4 प्लास्टिक की बोतल में बराबर– बराबर डालने के पश्चात प्रत्यैक में 40–40 बुंदे फार्मलीन की डालकर एयर टाईट सीलबन्द कर व लेबल पर डी.ओ. के कोड कमांक वाई–2221 दर्ज कर प्रत्यैक लेबल पर अन्य विवरण अंकित कर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ,गवाह एवं विक्रेता के हस्ताक्षर कराते हुए चिपकाने सम्बन्धी कार्यवाही करने के बाद प्रत्येक जार को अलग अलग खाकी कागज में लपेट कर सिरों को गोद से चिपकाया गया । तत्पश्चात डी0ओ0 प्रतापगढ़ के हस्ताक्षर युक्त पेपर स्लिप कोड एवं कमांक वाई–2221 गोंद से गोलाई में चिपकाई ,धागे से बांध कर सिल चपड़ी से सीलबन्द मोहर किया गया । चारो नमूना जारों पर डी.ओ. के कोड कमांक वाई–2221 दर्ज कर प्रत्यैक लेबल पर अन्य विवरण अंकित कर खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं गवाह ने हस्ताक्षर किये , विक्रेता ने पेपर स्लिप व खाकी कागज कॉस करते हुए अपने हस्ताक्षर किये । नियमानुसार नमूना लेकर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने लिये गये चारों नमूनों को अपने जाप्ते में लिया । मौके पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मौका फर्द बनाई गई जिसे विक्रेता व गवाहान को पढ़कर,सुनाकर हस्ताक्षर करने को कहा गया ,जिन्होने पढ़,सुन समझकर कर अपने हस्ताक्षर किये । जिस सील से नमूना सिल किया [illegible] पर ही खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौका फर्द पर अंकित किया । उक्त सम[illegible] उपस्थिति में की गई ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vijayesh Kumar Pandya
Date: 2025.04.28 13:11:35 IST
Reason: SelfAttested

कार्यालय पहुॅच कर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फार्म नं. 6 की प्रतियां तैयार की प्रत्येक पर नमूना सिल लगाई जिससे नमूना सिल किया गया था । फार्म संख्या 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपडी से सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बांसवाडा



न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ़

को देकर रसीद प्राप्त की । 1 नमूना मय फार्म संख्या 6 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बांसवाडा को जमा करा कर रसीद प्राप्त की । शेष 2 सील बंद नमूना भाग मय फार्म नं. 6 की प्रति आउटर कवर में सील बंद कर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी प्रतापगढ को खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा जमा करवाये जाने का उल्लेख किया गया है। जिनकी प्राप्ति रसीद फार्म नं0 6 की पुश्त पर है ।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद में यह भी उल्लेख किया है कि अभिहित अधिकारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अग्रेषण पत्र द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिकारी को मालूम हुआ कि उनके द्वारा लिया गया मिक्स दूध का नमूना सब स्टैण्डर्ड पाया गया है । अभिहित अधिकारी द्वारा विक्रेता को धारा 46(4) के अन्तर्गत रजिस्टर्ड पत्र भेजा गया। इस क्रम में मालिक द्वारा आधारकार्ड की छायाप्रति प्रस्तुत की।

अभिहित अधिकारी,मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, प्रतापगढ़ द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिकारी को प्रकरण तैयार कर अधोहस्ताक्षरकर्ता के न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत किया गया । इस आधार पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने समुचित कार्यवाही किये जाने का परिवाद प्रस्तुत किया ।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रकरण प्रस्तुत करने पर , प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को अपना पक्ष स्वयं अथवा उनके प्रतिनिधि के द्वारा प्रस्तुत करने हेतु विधिवत सूचना पत्र जारी किया गया ।

अप्रार्थी अभियुक्त को उसके खिलाफ खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा पेश किये गये परिवाद में वर्णित तथ्यों को पढ़कर अवगत कराया गया । अप्रार्थी अभियुक्त ने प्रकरण में न्यूनतम जुर्माना करने का मौखिक निवेदन किया।

परिवाद में वर्णित तथ्यों एवं इसके साथ संलग्न दस्तावेजात तथा खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बांसवाडा से प्राप्त जांच रिपोर्ट संख्या पीएच लेब/बांस/एक्ट/2024/797 दिनांक 24.07.2024 के अनुसार अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा बेचा जा रहा मिक्स दूध का नमूना जांच रिपोर्ट में सब स्टेण्डर्ड होना पाया गया है , जिसके लिये अभियुक्त अप्रार्थी दोषी प्रतीत होता है ।

अतः उपरोक्त विवेचन से [illegible] अभियुक्त द्वारा खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 201[illegible] 26 की उपधारा 2(II) व 2(V)के तहत अमानक पदार्थ बेचने का [illegible] अधिनियम की धारा 51 में अवमानक पदार्थ पाये जाने पर शास्ति आरोपित किये जाने का [illegible]धान किया हुआ है । उपरोक्त प्रावधान को मद्देनजर रखते हुए अप्रार्थी अभियुक्त को जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया जाना उचित है । अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 और विनियम

Signature Not Verified
Digitally signed by Vijayesh Kumar Pandya
Date: 2025.04.28 13:11:35 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ

2011 की धारा 26 की उपधारा 2(II) व 2(V)का उल्लंघन करने एवं अपराध कारित होने के फलस्वरूप उक्त अधिनियम की धारा 51 के अन्तर्गत अप्रार्थी अभियुक्त के वहां दिनांक 10.07.2024 को उपलब्ध दूध 18 लीटर (40 रू प्रति लीटर) के हिसाब से दस गुना शास्ति अर्थात 7200/- (अक्षरे सात हजार दो सौ रूपये मात्र) शास्ति आरोपित की जाती है । अभियुक्त उपरोक्त शास्ति की राशि न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट , प्रतापगढ़ के नाम जरिये डी0डी0 न्यायालय में अथवा जरिये चालान से राजकोष में निर्णय दिनांक **15.04.2025** से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रिपोर्ट प्रस्तुत करें ।

निर्णय आज दिनांक 15.04.2025 को लिखाया जाकर सरे न्यायालय सुनाया गया ।

(विजयेश कुमार पण्ड्या)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट , प्रतापगढ़

क्रमांक/रीडर/2025/ 505-07 दिनांक 15.04.2025

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है ।

1. खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशक, (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं ,जयपुर ।
2. अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, प्रतापगढ़ ।
3. अप्रार्थी अभियुक्त श्री उमेश कुमावत पुत्र श्री श्यामलाल कुमावत, मैसर्स श्रीजी दूध डेयरी, धोलापानी दरवाजा, छोटीसादडी

(विजयेश कुमार पण्ड्या)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट , प्रतापगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Vijayesh Kumar Pandya
Date: 2025.04.28 13:11:35 IST
Reason: SelfAttested